राजस्व विविध GCMS नंबर 2025/240 बअनवान नरपतसिंह बनाम किशोरसिंह वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
3/026.	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री मूलसिंह यादव उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब नहीं देकर बहस करने का निवेदन किया। उपस्थित वकुलाय की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित बिंदुओ प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपुरणीय क्षति के बिंदुओं पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात वादग्रस्त भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 455 रकबा 0.1600 हैक्टर व खसरा नंबर 566/785 रकबा 0.1300 हैक्टर की भूमि के संबंध में मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथा स्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	